सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2022 / 159(52 / 2022) दर्ज तिथिः–30.05.2022

1. हिरकनराम पुत्र हुकमाराम
2. रामाराम पुत्र हुकमाराम
   जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी पटवार हल्का व तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. धीमाराम पुत्र कोजाराम
2. बाबुराम पुत्र कोजाराम
3. बुधराम पुत्र कोजाराम
4. लाधुराम पुत्र कोजाराम
5. रूघनाथ पुत्र कोजा
6. भाखराराम पुत्र तेजाराम
7. साजन पुत्र तेजाराम
   जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी पटवार हल्का व तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

8. तहसीलदार गुड़ामालानी
9. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक गुड़ामालानी
10. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी बैंक गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री मोहनलाल विश्नोई
प्रतिवादीः–श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–29.09.2025

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:54 IST
Reason: SelfAttested

- कि आराजी खसरा संख्या 396 रकबा 13–15 बीघा, 404 रकबा 181–00 बीघा, 934 रकबा 33–18 बीघा, 938 रकबा 68–08 बीघा, 403 रकबा 0–11 बीघा मौजा भीलों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी में वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज फुलाराम पुत्र सिमरथाराम के समय की खातेदारी आराजी दर्ज रिकार्ड है।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज फूलाराम के तीन पुत्र हुकमाराम पुत्र फुलाराम, कोजाराम पुत्र फुलाराम एवं तेजा पुत्र फुलाराम थे।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने पूर्वज फुलाराम के वारिस होने के कारण अपने दादा के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। इस स्थिति में उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी के दादा फुलाराम की खातेदारी आराजी में वादी के पिता हुकमाराम 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी कोजाराम पुत्र फुलाराम एवं तेजा पुत्र फुलाराम प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा कानूनन निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

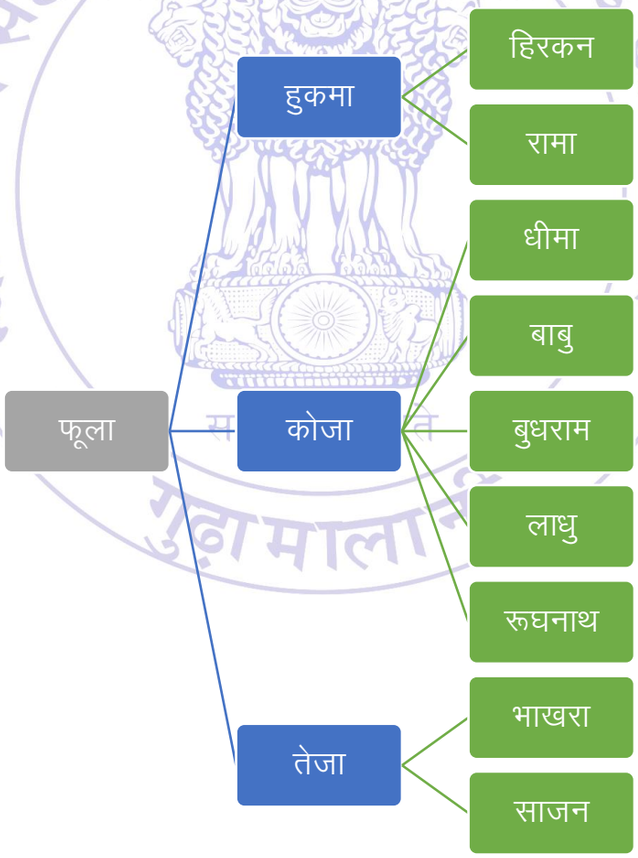

- कि वादीगण के दादा फूलाराम का देहांत होने पर फौतगी नामांतरकरण 624 ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा केवल प्रतिवादीगण के पिता कोजा पुत्र फूला एवं तेजा पुत्र फूला के नाम विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया तथा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:54 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के पिता हुकमा को अपनी उक्त पैतृक आराजी में अपने हक हिस्से 1/3 से वंचित कर दिया।

- कि वादीगण के अपने पूर्वज फूला के वारिस होने के कारण अपने दादा के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा है। एक सहदायक का कब्जा सभी सहदायकों का कब्जा माना जाता है।
- कि प्रतिवादीगण वर्तमान गलत राजस्व इन्द्राज का अनुचित फायदा उठाने के उद्देश्य से मुतनाजा आराजी का बेचान करने एवं वादी को अपनी पैतृक आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। वादी की पैतृक आराजी होने के कारण एवं नामांतरकरण संख्या 624 में पक्षकार नहीं होने से उक्त नामांतरकरण संख्या 624 से बाध्य नहीं होने के आधार पर मुतनाजा आराजी में जन्म से ही अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
- कि प्रतिवादीगण को वादी की घोषित आराजी पर दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।
- कि वादीगण के उक्त आधारों पर निम्न अनुतोष निवेदित हैः—
    1. उक्त आराजी वादी के दादा फूलाराम की खातेदारी आराजी होने एवं वादी के फूलाराम के विधिक वारिस होने के आधार पर 1/3 हिस्से की घोषणा करते हुए वादी को खातेदार घोषित किया जावे।
    2. वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
    3. अन्य अनुतोष।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगणब असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। तत्पश्चात प्रतिवादीगण ने वादीगण के दावा का जवाब प्रस्तुत करते हुए जवाबदावा पेश कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः—

    - कि मुतनाजा आराजी पर वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी एवं वर्तमान में प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चलता आ रहा है। वादीगण के पिता हुकमाराम वक्त सेटलमेंट बालिग एवं समझदार होने के कारण वादीगण के पिता हुकमाराम द्वारा वक्त सेटलमेंट अलग पैमाईश करवा ली गई। जिससे वादीगण के पिता हुकमाराम का वक्त सेटलमेंट अलग से नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गया। साथ ही प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी कोजा एवं तेजा के नाबालिग होने एवं प्रतिवादीगण को अपने हक हिस्से की आराजी से वंचित करने के साथ प्रतिवादीगण की आराजी को भी अपने नाम करवाने की नियत से उक्त वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो चलने योग्य नहीं होने से काबिल—ए—खारिज है।
    - कि वादीगण के पिता हुकमाराम द्वारा पूर्व में ही अपने 1/3 हिस्से की जमीन प्राप्त की गई होने के आधार पर वादीगण मुतनाजा आराजी में कोई हक—हकूक नहीं रखते हैं। अतः वादीगण का दावा विधिविरूद्ध होकर काबिल—ए—खारिज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:54 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादीगण द्वारा पूर्व में फूला की फौतगी का नामांतरकरण संख्या 624 सहमति से पारित करवाया था। जिसका वादीगण द्वारा लम्बी अवधि तक कोई विरोध एवं उज्र एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। वादीगण द्वारा पूर्व में भी पूर्वज फूलाराम के भाई महेशचन्द्र के पौत्र वीरमा का संरक्षक वली बनकर करीब 107 बीघा भूमि खुर्दबुर्द कर बेचान कर दी गई।
- कि फूला एवं फूला के भाई महेशचन्द्र पौत्र वीरमा के खसरा संख्या 396 रकबा 13–18 बीघा, 404/1 रकबा 85–10 बीघा में प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा खोला जावे तथा प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का विभाजन समान रूप से किया जावे।

3. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गयेः–

1. आया वादी वादपत्र में वर्णित आराजी में 1/2 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने एवं तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता अंकन करवाने के अधिकारी हैं ?

.....वादी

2. आया वादी उपरोक्तानुसार घोषणा व तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता अंकन पश्चात् प्रतिवादीगण के विरूद्ध मुताबिक वादपत्र उल्लेखित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

.....वादी

3. आया प्रतिवादीगण वादपत्र एवं जवाबदावा में वर्णित सम्पूर्ण आराजी वादी व प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा समान रूप से खातेदारी में घोषित करवाने एवं तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता अंकन करवाने के अधिकारी हैं ?

.....प्रतिवादी

4. अन्य दादरसी

.....उभय–पक्षकारान

5. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए–

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 147	प्रदर्श–01
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 624	प्रदर्श–02
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 1223	प्रदर्श–03
जमाबंदी	सम्वंत 2044–47 मौजा बारासण	प्रदर्श–04
जमाबंदी	सम्वंत 2034–2037 मौजा बारासण	प्रदर्श–06
जमाबंदी	खतौनी बंदोबस्त	प्रदर्श–07
जमाबंदी	सम्वंत 2026–2030 मौजा गुड़ामालानी	प्रदर्श–08
जमाबंदी	सम्वंत 2031–2034 मौजा गुड़ामालानी	प्रदर्श–09
जमाबंदी	सम्वंत 2034–2036 मौजा गुड़ामालानी	प्रदर्श–10

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:54 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी	सम्वंत 2038–2041 मौजा गुड़ामालानी	प्रदर्श–11
जमाबंदी	सम्वंत 2054–2057 मौजा गुड़ामालानी	प्रदर्श–12
जमाबंदी	सम्वंत 2057–2060 मौजा भीलों की ढाणी	प्रदर्श–13

6. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
हिरकनराम पुत्र हुकमाराम	विश्नोई	भीलों की ढाणी	पी0डब्ल्यू0–1
रामाराम पुत्र हुकमाराम	विश्नोई	भीलों की ढाणी	पी0डब्ल्यू0–2
वीरमाराम पुत्र रूपाराम	विश्नोई	भीलों की ढाणी	पी0डब्ल्यू0–03
तेजाराम पुत्र निम्बाराम	भील	भीलों की ढाणी	पी0डब्ल्यू0–04

7. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में संशोधन की अनुमति चाही गई। उक्त संशोधन की अनुमति न्यायालय द्वारा प्रदान की गई। तत्पश्चात् दोनों पक्षों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया गयाः–

- कि उक्त राजीनामा में प्रतिवादीगण द्वारा अपनी पैतृक खातेदारी आराजी मौजा भीलों की ढाणी के खाता संख्या 66 के खसरा संख्या 934 रकबा 5.4875 है0 में भाखराराम के हिस्से 1/4 हिस्सा का 400/487 हिस्सा यानि 100/487 हिस्सा रकबा 0.6475 है0 यानि 4–00 बीघा, धीमाराम के हिस्से 1/10 हिस्सा का 80/338 हिस्सा यानि 4/169 हिस्सा रकबा 0.1295 है0 यानि 0–80 बीघा एवं रूगनाथराम के हिस्से 1/10 हिस्सा का 320/338 हिस्सा यानि 16/169 हिस्सा रकबा 0.5180 है0 यानि 3–20 बीघा यानि कुल तीनों ने अपने हिस्से का कुल रकबा 8–00 बीघा की भूमि का बिना प्रतिफल लिये वादीगण के पक्ष में बक्शीसनामा कर दिया है।
- कि उक्त बक्शीशनामा ग्रहीता द्वारा एक राजस्व वाद हिरकन बनाम धीमाराम में नामांतरकरण संख्या 624 में वादीगण के पिता को भूमि प्राप्त नहीं होने के आधार पर घोषणा का वाद पेश किया है। जिसमें पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति एवं लोक अदालत की भावना से राजीनामा होने से उक्त राजीनामा प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके बदले में उक्त भूमि बक्शीशनामा के जरिये दी जा चुकी है। वक्त सेटलमेंट से पूर्व फूलाराम के तीन पुत्र जिसमें हुकमाराम, तेजाराम व कोजाराम थे तथा बड़ा पुत्र हुकमाराम अपने पिताजी से पृथक पैतृक हक मौजा भीलों की ढाणी खसरा संख्या 402, 933, 407 व 395 पूर्ण खसरे की भूमि एवं शेष भूमि जो तेजाराम व कोजाराम के पास इसी ग्राम भीलों की ढाणी के खसरा संख्या 403, 404, 934 व 938 संयुक्त रखी थी। इब आज भी इसी अनुसार सहमति हुई है।
- कि हुकमाराम ने अपने पिता फूलाराम से तीसरे हिस्से की भूमि सहमति से पूर्व में नामांतरकरण खुलवाकर प्राप्त कर ली थी। अब पक्षकारान की आपसी सहमति हो गई है तथा दोनों भाई कोजा व तेजा का हिस्सा प्रतिफल भूमि के रकबा 08–00 बीघा भूमि देकर आपसी राजीनामा लोक अदालत की भावना से हो गया है। साथ ही उक्त बक्शीशनामा पंजीबद्ध करवा लिया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:54 IST
Reason: SelfAttested

- कि उक्त राजीनामा ग्राम के मौजिज लोगों की उपस्थिति में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से हो गया है। उक्त राजीनामा से वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा 08–00 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध बक्शीशनामा दी जाकर वाद को जरिये राजीनामा फैसल करवाना चाहते हैं। जिसमें किसी भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में भी उक्त राजीनामा व आराजीयात को लेकर किसी भी प्रकार का कोई उज्र–एतराज न्यायालय में नहीं करेंगे। अंत में पक्षकारान द्वारा उक्त राजीनामा अनुसार पाबंद होकर उक्त राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त वाद जरिये राजीनामा फैसल फरमाने का निवेदन किया है।

8. निष्कर्षतः प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए मुतनाजा आराजी के संबंध में राजीनामा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रकरण में वादीगण के अनुतोष को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के अनुतोष को भी स्वीकार किया गया है। उभयपक्षकारान के द्वारा सहमति से मुतनाजा आराजी के संबंध में अपने दावों व अधिकारों के मध्य सामंजस्य बनाते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया है। उक्त राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण को मुतनाजा आराजी पर उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा दिनांक 04.08.2025 के आधार पर खाता संख्या 66 के खसरा संख्या 934 रकबा 5.4875 है0 में भाखराराम के हिस्से 1/4 हिस्सा का 400/487 हिस्सा यानि 100/487 हिस्सा रकबा 0.6475 है0 यानि 4–00 बीघा, धीमाराम के हिस्से 1/10 हिस्सा का 80/338 हिस्सा यानि 4/169 हिस्सा रकबा 0.1295 है0 यानि 0–80 बीघा एवं रूगनाथराम के हिस्से 1/10 हिस्सा का 320/338 हिस्सा यानि 16/169 हिस्सा रकबा 0.5180 है0 यानि 3–20 बीघा यानि कुल तीनों ने अपने हिस्से का कुल रकबा 8–00 बीघा की भूमि का बिना प्रतिफल लिये वादीगण के पक्ष में बक्शीसनामा के आधार पर खातेदार घोषित किया जाकर दावा सहमति डिक्री किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।
आज 29.09.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:54 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2022 / 159(52 / 2022) दर्ज तिथिः–30.05.2022

1. हिरकनराम पुत्र हुकमाराम
2. रामाराम पुत्र हुकमाराम
   जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी पटवार हल्का व तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. धीमाराम पुत्र कोजाराम
2. बाबुराम पुत्र कोजाराम
3. बुधराम पुत्र कोजाराम
4. लाधुराम पुत्र कोजाराम
5. रूघनाथ पुत्र कोजा
6. भाखराराम पुत्र तेजाराम
7. साजन पुत्र तेजाराम
   जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी पटवार हल्का व तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

8. तहसीलदार गुड़ामालानी
9. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक गुड़ामालानी
10. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी बैंक गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री मोहनलाल विश्नोई
प्रतिवादीः–श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

वादीगण को मुतनाजा आराजी पर उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा दिनांक 04.08.2025 के आधार पर खाता संख्या 66 के खसरा संख्या 934 रकबा 5.4875 है0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:54 IST
Reason: SelfAttested

में भाखराराम के हिस्से 1/4 हिस्सा का 400/487 हिस्सा यानि 100/487 हिस्सा रकबा 0.6475 है0 यानि 4–00 बीघा, धीमाराम के हिस्से 1/10 हिस्सा का 80/338 हिस्सा यानि 4/169 हिस्सा रकबा 0.1295 है0 यानि 0–80 बीघा एवं रुगनाथराम के हिस्से 1/10 हिस्सा का 320/338 हिस्सा यानि 16/169 हिस्सा रकबा 0.5180 है0 यानि 3–20 बीघा यानि कुल तीनों ने अपने हिस्से का कुल रकबा 8–00 बीघा की भूमि का बिना प्रतिफल लिये वादीगण के पक्ष में बक्शीसनामा के आधार पर खातेदार घोषित किया जाकर दावा सहमति डिक्री किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:54 IST
Reason: SelfAttested

हिरकन बनाम धीमाराम
2022 / 159
निर्णय दिनांकः–29.09.2025